

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2025/162103/MTH/MATHURA/4057/CFO**

दिनांक: **18-06-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RAMANLAL SHORAWALA INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **- ,VILLAGE-RAWAL, BALDEO ROAD, MATHURA** तहसील - **MAHAVAN** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RAMANLAL SHORAWALA INTERNATIONAL SCHOOL	3	0	10.21 mt.

तथा प्लॉट एरिया **10000 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **RAMANLAL SHORAWALA INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **22-06-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **YOGENDRA GOYAL** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-06-2025** से **21-06-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : In view of the recommendation report of fssso. The NOC is being issued यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है, शासनादेश सं0-18/छः-पु0-8-2022/905(34)2016 टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि(बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा, भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबन्धक की होगी अन्यथा की स्थिति में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

NARENDRA PRATAP SINGH

CF76D699D252E9CEAD985F061E781FD310933742

22-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **22-06-2025**

स्थान : **MATHURA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.